

न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम अलवर  
 उनवान शीला देवी बनाम प्राधिकृत अधिकारी  
 (भूमि पुनर्वसन) वर्ग 0

रा. मु. अ. 13-11.18-1000 फार्म

प्रकरण सं. - 17/02/2021  
 25/02/2021

APP-A  
 Crim-II

SIMS  
 2021/29

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....  
 शीला देवी बनाम प्राधिकृत अधिकारी अलवर  
 किस्म मुकदम नं. .... सं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
-------------	------------------------------------	--

11.08-21

पत्रावली सं. 100/21 व संकुल  
 अंतराज्य अ. 10। कलक्टर अलवर  
 ने निदेशित किया कि प्राधिकृत  
 अधिकारी एवं अप्रभारत अधिकारी  
 अलवर का खोजना करके दो-पुस्तक  
 की प्रतिलिपि मुद्रित करके  
 भेजना नही है। खोजना प्रमाण  
 पत्र (कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक  
 11/08/21 को भेजा) कलक्टर अलवर  
 द्वारा प्रमाणित किया गया। पत्रावली  
 का अन्वेषण किया। - कि  
 प्राधिकृत अधिकारी/अप्रभारत  
 अधिकारी अलवर का खोजना  
 दो-पुस्तक की (अ. प्रमाणित मुद्रित  
 प्रतिलिपि प्रमाणित कर को  
 भेजना नही है। प्रमाणित  
 मुद्रित प्रतिलिपि प्रमाणित  
 पत्रावली प्रमाणित अलवर  
 वाद अन्वेषण प्रमाणित  
 है।

Moulvi  
 11-8-2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
 अलवर (राजग)